न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोण्डा।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–246/2026
CNR No.UPGD010029272026

अशोक कुमार बनाम माया देवी आदि

दिनांक–29.07.2026

1– पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

2– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० आवेदक अशोक कुमार द्वारा सारतः इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के बाबा राजाराम पुत्र रामसहाय द्वारा गाटा संख्या–1193 मि/0.03 डिसमिल जिसकी नई गाटा संख्या 715ख/0.0120 हे0 स्थित ग्राम पिपरा अदाई के 1/2 भाग के खातेदार रामसूरत से पंजीकृत बैनामा दिनांक–25.02.1984 के लिए थे, जिसमें आगे दुकान व पीछे मकान बनाकर सिलाई का काम करते थे, जिनके मृत्योपरान्त प्रार्थी के पिता रामजस के मृत्यु के बाद प्रार्थी व अन्य वारिसान परिवार वालों के साथ अपने पैतृक मकान में रहते हैं, जिसमें बिजली मीटर, सिलाई मशीन इत्यादि मौजूद है। बैनामा की दाखिल–खारिज होकर प्रार्थी व अन्य यानी बैनामेदार राजाराम मृतक के वारिसान के नाम दर्ज है। तथ्यों को छिपाकर एस०डी०एम० साहब मनकापुर से दिनांक 13.02.2026 को एक आदेश प्राप्त कर लिया, जिसके विरुद्ध न्यायालय जनपद न्यायाधीश महोदय, गोण्डा के समक्ष फौजदारी निगरानी ग्राह्य होकर विचाराधीन है। उसी को लेकर घटना दिनांक–22.02.2026 को सुबह पिपरा अदाई गांव के रहने वाली माया देवी पत्नी बेचू शर्मा, सीता पत्नी दुर्गा प्रसाद, मालती शर्मा पत्नी अज्ञात पुत्री बेचू शर्मा, वीरेन्द्र पुत्र बेचू व दुर्गा प्रसाद पुत्र बेचू, राज शर्मा पुत्र दुर्गा प्रसाद तथा 2–3 व्यक्ति नाम/पता अज्ञात एक राय होकर प्रार्थी के मकान में एक राय होकर जबरिया ताला लगाने, प्रार्थी व उसकी पत्नी केतकी द्वारा मना किया गया, तो उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के घर में जबरदस्ती घुस आये और प्रार्थी व उसकी पत्नी को गन्दी गन्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारने लगे, जिससे प्रार्थी व उसकी पत्नी घर में ही जमीन पर गिर गये और तमाम चोटें आयीं, जिस पर दुर्गा प्रसाद व वीरेन्द्र द्वारा प्रार्थी की पत्नी से अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ भी किया और कान की बाली छीन लिया, उपरोक्त लोगों द्वारा प्रार्थी के घर के अन्दर गृहस्थी के सामान को सड़क पर फेंकने लगे, हल्ला–गुहार पर आस–पास के तमाम लोग इकठ्ठा हो गये और बीच–बराव कराया, सभी के सामने उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी व उसकी पत्नी को जातिसूचक गन्दी गन्दी गालियां कोरी, पासी मादरचोद कहते हुए कहा कि मकान खाली करवा लेंगे, तब तक डॉयल 112 की पुलिस मौके पर पहुँच गई, जिनको देखकर विपक्षीगण धमकियां देते हुए

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.29 17:17:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मौके से भाग गये। पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित करने की कार्यवाही भी की गई है। घटना की सूचना स्थानीय थाने पर घटना दिवस को ही दिया है, परन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा मेडिकल मुआयना न कराये जाने पर प्रार्थी अपनी पत्नी के चोटों का मेडिकल मुआयना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बभनजोत से कराया है तथा दिनांक–27.03.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, गोण्डा व श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गोण्डा व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, देवीपाटन परिक्षेत्र के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु आज दिवस तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र तथा आधार कार्ड, आघात आख्या व जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

3– उक्त प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध विपक्षी मायादेवी उर्फ माया शर्मा द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थिनी माया देवी का विवादित आराजी में 112 भाग यानी दक्षिण तरफ 10 फुट व उत्तर तरफ 07 फुट तथा दक्षिण से उत्तर में लम्बाई 70 फुट पर प्रार्थिनी माया देवी उर्फ माया शर्मा का मकान बना हुआ है। प्रार्थिनी माया देवी उर्फ माया शर्मा व प्रार्थिनी के पुत्रों का गाटा संख्या 715ख/0.0120 हे0 में 1/2 अंश हिस्सा है तथा 1/2 अंश रामसूरत पुत्र राम गुलाम का था जिन्होंने अपना 1/2 अंश करम मोहम्मद व अशोक कुमार के पूर्वज को बैनामा कर दिया था। प्रार्थिनी माया देवी का मकान रामसूरत के द्वारा बेचे गये भूमि के पूरब तरफ स्थित है जिस पर अशोक कुमार का कोई हक नहीं है। विवादित आराजी के 1/2 भाग पर प्रार्थिनी का मकान बना हुआ है जो प्रार्थिनी माया देवी को अपने पति के मृत्यु के बाद वरासत द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रार्थिनी के जेठ रामसूरत के द्वारा बेची गयी जमीन पर करम मोहम्मद का मकान बना हुआ है। इस प्रकार अशोक कुमार की भूमि को करम मोहम्मद द्वारा अवैध कब्जा किया गया था ना कि प्रार्थिनी माया देवी उर्फ माया शर्मा के द्वारा कब्जा किया गया है। पूर्व में उपजिलाधिकारी मनकापुर जनपद गोण्डा ने वाद संख्या T202208300705040 माया शर्मा बनाम दुखना अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. में दिनांक 13.02.2026 को थानाध्यक्ष खोडारे को निर्देशित किया गया कि प्रार्थिनी माया देवी उर्फ माया शर्मा के मकान में अनावश्यक हस्तक्षेप न होने दे जिसके आदेश दिनांकित 13.02.2026 के विरूद्ध अशोक कुमार की माता दुखना के द्वारा श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा के न्यायालय पर निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जिसमें प्रार्थिनी माया देवी उर्फ माया शर्मा भी हाजिर हो चुकी है तथा उपरोक्त निगरानी की पत्रावली न्यायालय श्रीमान् ए.एस.जे.–4 गोण्डा के यहां स्थानान्तरित हो गयी है। जिसमें न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं हुआ है। उपरोक्त वाद के परिवादी अशोक कुमार द्वारा अपने 173(4) बी0एन0एस0एस0 के प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या–5 दुर्गा प्रसाद को अभियुक्त बनाया है। दुर्गा प्रसाद उर्फ गोविन्द एक ही व्यक्ति का नाम थ जो कि प्रार्थिनी माया देवी के लड़के थे जिनकी हत्या सन् 2025 में हो चुकी है। जिनकी हत्या के सम्बन्ध में थाना खोडारे में अ0सं0 148/2025 पंजीकृत है तथा जिसका विचारण न्यायालय

जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा के यहां विचाराधीन है। इस प्रकार अशोक कुमार द्वारा मृतक व्यक्ति को घटना में शामिल होना बताया है। प्रार्थिनी के द्वारा पूर्व में अशोक कुमार व उनके परिवार वालो के विरूद्ध मारपीट की घटना को लेकर न्यायालय में 173(4) बी0एन0एस0एस0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि परिवाद के दर्ज होकर न्यायालय श्रीमान् जे0एम0 प्रथम के न्यायालय पर विचाराधीन है। उसी में दबाव बनाने के लिए अशोक कुमार द्वारा फर्जी घटना दिखाकर श्रीमान् जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र, छायाप्रति वाद संख्या 5040/2020 में पारित निर्णय, छायाप्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 माया शर्मा बनाम भागीरथी आदि व छायाप्रति प्रकीर्ण वाद संख्या 1169/2026 में पारित आदेश दिनांकित 10.07.2026, गोविन्द शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 148/2025 की छायाप्रति दाखिल किया है।

4– आवेदक के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में संबंधित थाना से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि न्यायालय उपजिलाधिकारी तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा वाद संख्या 5040/2020 (T202208300705040) माया शर्मा बनाम दुखना अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. में दिनांक 13.02.2026 के माध्यम से थानाध्यक्ष खोडारे को निर्देशित किया कि प्रथम पक्ष/माया देवी उर्फ माया शर्मा के मकान में अनावश्यक हस्तक्षेप न होने दे। आदेश दिनांकित 13.02.2026 के विरूद्ध अशोक कुमार की माता दुखना के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा के न्यायालय पर निगरानी प्रस्तुत की गयी थी। अतः पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो चुका है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत गाटा संख्या के स्वामित्व व कब्जे को लेकर मूलतः सिविल प्रकृति का विवाद है जिस हेतु पक्षकारगण सिविल न्यायालय से उचित विधिक उपशम प्राप्त कर सकते हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों के मध्य लम्बित सिविल प्रकृति के विवाद में किसी भी पक्षकार को फौजदारी प्रकरण को एक उपकरण की भांति दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने हेतु इस्तेमाल किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही मत माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य, 2007(12) एस.सी.सी. (1) सुप्रीम कोर्ट** में भी व्यक्त किया गया है।

6– अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उपरोक्त विवेचन के माध्यम से प्रथमदृष्टया किसी भी आपराधिक घटना का घटित होना प्रकट नहीं हो रहा है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र बी0एन0एस0एस0 की धारा–173(4) निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(आलोक शर्मा)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
गोण्डा।
आई.डी.नम्बर–यू.पी.1751

दिनांक–29–07–2026